न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ. अमित यादव, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –38/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर –2023/43

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मोहम्मद इरफान पुत्र अब्दुल गफ्फार जाति मुसलमान निवासी कुम्हारी तहसील व जिला नागौर, राज0		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर, राज0

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील श्री अनिल गौड़ ।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनियां ।

दिनांक :– 13.02.2024

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 32/2021 सरकार बनाम मो0 इरफान में पारित निर्णय दिनांक 22.10.2021 से असंतुष्ट होकर दिनांक 01.02.2023 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ मयाद प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलान्ट की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना–पत्र पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अपीलांट को निर्णय दिनांक 22.10.2021 की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 02.01.2023 को हुई थी, उसी दिन अपीलांट ने नकल के लिए आवेदन प्रस्तुत किया एवं दिनांक 09.01.2023 को नकल प्राप्त होने पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अविलम्ब माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी, अपीलांट को निर्णय जेर अपील की जानकारी इससे पूर्व नही हुई थी, क्योकि अपीलांट के अधीनस्थ न्यायालय के अधिवक्ताओं ने उसे इस बाबत कोई जानकारी नही दी थी, इस कारण अपील पेश करने में हुआ विलम्ब सदभावी, युक्तियुक्त व क्षम्य है तथा जानकारी से अंदर मियाद यह अपील अपीलांट पेश की है, का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपील अपीलांट पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन कर अपील अपीलांट जानकारी से अंदर मियाद शुमार किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मयाद बाहर होने का कथन करते हुए मयाद प्रार्थना पत्र मय अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने हुवे विलम्ब के संबंध में मयाद प्रार्थना पत्र के साथ स्वंय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का नागौर द्वारा दिनांक 27.08.2021 को एक रिपोर्ट विरूद्ध अपीलांट तैयार कर तहसीलदार नागौर के समक्ष पेश की गई। जिस पर तहसीलदार नागौर द्वारा एक नोटिस दिनांक 27.08.2021 को जारी किया गया। जिसमे यह कथन अंकित किया कि खसरा नम्बर 247 वाके मौजा नागौर पर संवत 2078 में अपीलांट ने नया कब्जा कर रखा है। जिसके आधार पर अपीलांट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही की गई एवं प्रकरण संख्या 32/2021 दर्ज किया जाकर अपीलांट को दिनांक 27.08.2021 को न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष उपस्थित होने का जारी हुआ। तत्पश्चात अपीलांट ने दिनांक 06.09.2021 को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई एवं अपने अधिवक्ता के जरिये दिनांक 06.09.2021 को ही

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

जवाब प्रस्तुत कर दिया एवं माननीय न्यायालय से दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु समय चाहने का भी निवेदन किया। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने अत्यधिक जल्दी दर्शाते हुए दिनांक 22.10.2021 को अपीलांट को अतिकमी मानते हुए बेदखली के आदेश पारित कर दिये, जिसके विरूद्ध अपीलांट की ओर से यह अपील पेश की गई है।

निर्णय जेर अपील खिलाफ कानून तथ्यो, तथ्यो ,परिस्थितियो, राजस्व रेकर्ड, साक्ष्य व रेकर्ड के विपरीत जाकर प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तो की अवहेलना कर पारित किया गया होने से प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

खसरा नम्बर 247 रकबा 6 बीघा भूमि की किस्म गैर मुमकिन मगरा हैं, जो प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में नहीं आती है एवं धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उस भूमि पर खातेदारी अधिकार देने में भी किसी तरह की बाध्यता नही है। इस कारण प्रार्थी का पूर्व में उसके पिता व तत्पश्चात प्रार्थी का कब्जा है। इससे संबंधित दस्तावेज भी प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किये थे, मगर प्रार्थी के पुराने कब्जे को नया कब्जा मानकर बेदखली की कार्यवाही विधि विरूद्ध की हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

नजरी नक्शा जो कि पटवारी बरणगांव द्वारा मुर्तिब किया गया था, उसको देखने पर स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि इस नक्शे में प्रार्थी का किस दिशा में कितने माप का अतिक्रमण किया गया है, इसका कहीं भी उल्लेख नही हैं, इससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उक्त रिपोर्ट मौके पर नही बनाकर कार्यालय में बैठकर बनाई गई है, जिसे आधी अधूरी रिपोर्ट को आधार मान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बेदखल करने के आदेश पारित किये है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

इससे पूर्व प्रार्थी के पिता के विरूद्ध भी धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही अमल में लाई गई थी। जो प्रकरण संख्या 70/78 व 666/86 सरकार बनाम गफार के नाम से की गई थी, जिसमे राजकीय परिपत्र दिनांक 14.04.1977 के तहत नियमन की सिफारिश की जाकर किस्म परिवर्तन के लिए भी आदेश पारित किये गये थे। जिस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नही हुई थी, इससे स्पष्ट रूप से प्रतीत है कि अपीलांट के पिता का लम्बे अरसे से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त था, तत्पश्चात उक्त भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त है एवं पुराने कब्जे के आधार पर नियमन की कार्यवाही भी की गई थी। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने नया कब्जा मान पुराने कब्जे से संबंधित दस्तावेजो को दर्ज कर उनके आधार पर निर्णय पारित किया हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

विधि का यह सुस्पष्ट सिद्धान्त है कि जिस व्यक्ति के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही की जाती है, उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, वर्तमान प्रकरण में नियमन की कार्यवाही जो अपीलांट के हक में की गई थी, उसमे अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था, जो नही दिया गया एवं उसके हक में नियमन की कार्यवाही की जानी थी, जो नही की गई। इस कारण से भी निर्णय जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया में कभी भी राजस्व कर्मचारियो द्वारा मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट मौके की तैयार नही की गई, न ही धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही करते समय, न ही नियमन की कार्यवाही करते समय। अगर मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट बनाई होती तो सम्पूर्ण तथ्यो की जानकारी का खुलासा हो जाता एवं नियमन प्रक्रिया में इस तथ्य का उल्लेख हो जाता। इस कारण से भी निर्णय जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

खसरा परिवर्तन संवत 2048, 2044, 2042, 2039 खसरा गिरदावरी संवत 2033–36, 2042–45 में अपीलांट के पिता का नाम उल्लेख हैं, इसके अलावा अपीलांट के पिता द्वारा समय समय पर इस भूमि के संबंध में बिगौड़ी भी जमा करवाई हैं, जिसकी रसीद भी अपील के साथ संलग्न हैं, इससे यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि अपीलांट के द्वारा नया कब्जा नही कर पिछले कई दशको पुराना कब्जा होने से अपीलांट के खिलाफ नियमन लायक मामला होते हुए भी अपीलांट के खिलाफ कार्यवाही हाजा कर निर्णय जेर अपील पारित कर त्रुटि कारित किये जाने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 32/2021 में पारित आदेश दिनांक 22.10.2021 जिसके द्वारा अतिकमी मानते हुवे कार्यवाही की गई, को अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में DNJ(Raj)1995 पेज 691, DNJ(Raj) 2002(3) पेज 1310, RLW 1977 पेज 386, RLW 2006(3) पेज 2288, DNJ(Raj)1995 पेज 655 की नजीरे पेश कर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया हैं।

राजपैरोकार ने बहस में कथन किया कि ग्राम बापोड़ के खसरा नम्बर 247 रकबा 6.00बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा मूंग व ज्वार की काश्त कर अतिक्रमण करने की पटवारी बरणगांव रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील दिनांक 22.10.2021 को पारित कर अपीलान्ट को अतिक्रमी रकबे से बेदखली आदि के आदेश दिये गये हैं।

प्रकरण में अपीलान्ट ने कथन किया है कि ***"खसरा नम्बर 247 रकबा 6 बीघा भूमि की किस्म गैर मुमकिन मगरा हैं, जो प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में नहीं आती है एवं धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उस भूमि पर खातेदारी अधिकार देने में भी किसी तरह की बाध्यता नही है। इस कारण प्रार्थी का पूर्व में उसके पिता व तत्पश्चात प्रार्थी का कब्जा है।"*** एवं अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि ***"इससे पूर्व प्रार्थी के पिता के विरूद्ध भी धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही अमल में लाई गई थी। जो प्रकरण संख्या 70/78 व 666/86 सरकार बनाम गफार के नाम से की गई थी, जिसमे राजकीय परिपत्र दिनांक 14.04.1977 के तहत नियमन की सिफारिश की जाकर किस्म परिवर्तन के लिए भी आदेश पारित किये गये थे। जिस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नही हुई थी"*** अपीलान्ट के उक्त कथनों अनुसार अपीलान्ट का उक्त खसरा नम्बर 247 रकबा 6.00बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा की भूमि पर पुराना कब्जा होना बताया हैं परन्तु खसरा परिवर्तनशील से किसी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। गै0मु0 मगरा की भूमि काबिल कास्त भी नहीं होती हैं एवं किसी प्रकार गै0मु0 मगरा की भूमि पर कब्जा कर भी लिया जाता हैं तो उसे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इससे स्पष्ट है कि वह उक्त भूमि का विधिक रूप से खातेदार नहीं है। प्रकरण संख्या 70/78 सरकार बनाम गफार अन्तर्गत धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट में न्यायालय नायब तहसीलदार नागौर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.10.78 से खसरा नम्बर 246 की भूमि पर अपीलान्ट के पिता गफार का कब्जा काश्त होने से निशुल्क नियमन की सिफारिश करते हुए पत्रावली सलाहकार समति के समक्ष पेश करने का आदेश दिया गया था। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि का उसके पिता गफार के पक्ष में सलाहकार समिति द्वारा नियमन कर दिये जाने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। बल्कि अपीलान्ट ने स्वंय ने अपील में उपर्युक्तानुसार कथन किया है कि नियमन की सिफारिश की जाकर किस्म परिवर्तन के लिए भी आदेश पारित किये गये थे, जिस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई थी। अपीलान्ट के उक्त कथन से भी स्पष्ट है कि उक्त खसरा नम्बर 247 की भूमि जिस पर अपीलान्ट का कब्जा है, का नियमन नहीं हुआ है। इसलिए बिना नियमन उक्त खसरा नम्बर 247 पर अपीलान्ट का कब्जा अवैध ही है।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त संबंध में निगरानी/एलआर/2885/2006/नागौर, मूलनाथ बनाम सरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2017 में अंकित किया है कि ***"जहां तक पुराने कब्जे के आधार पर नियमन का प्रश्न है, तो धारा 91 की कार्यवाही में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है, इसके लिए पृथक से कार्यवाही ही संभव है।"*** हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट स्वंय ने विवादित भूमि पर स्वंय का पुराना कब्जा होना स्वीकार किया है, इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट उक्त विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज है एवं उक्त निर्णय अनुसार ऐसे पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है, का कथन करते हुए राजपैरोकार ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम बापोड़ के खसरा नम्बर 247 रकबा 6.00बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा मूंग व ज्वार की काश्त कर नाजायज कब्जा करने की पटवारी बरणगांव द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक भाकरोद

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

से सत्यापित रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील दिनांक 22.10.2021 को पारित कर अपीलान्ट को अतिकमी रकबे से बेदखली आदि के आदेश दिये गये।

प्रकरण में अपीलान्ट ने अपील में कथन किया है कि ***"खसरा नम्बर 247 रकबा 6 बीघा भूमि की किस्म गैर मुमकिन मगरा हैं, जो प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में नहीं आती है एवं धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उस भूमि पर खातेदारी अधिकार देने में भी किसी तरह की बाध्यता नही है। इस कारण प्रार्थी का पूर्व में उसके पिता व तत्पश्चात प्रार्थी का कब्जा है।"*** एवं अपीलान्ट ने अपील में यह भी कथन किया है कि ***"इससे पूर्व प्रार्थी के पिता के विरूद्ध भी धारा 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही अमल में लाई गई थी। जो प्रकरण संख्या 70/78 व 666/86 सरकार बनाम गफार के नाम से की गई थी, जिसमे राजकीय परिपत्र दिनांक 14.04.1977 के तहत नियमन की सिफारिश की जाकर किस्म परिवर्तन के लिए भी आदेश पारित किये गये थे। जिस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नही हुई थी"*** अपीलान्ट के उक्त कथनों अनुसार अपीलान्ट का उक्त खसरा नम्बर 247 रकबा 6.00बीघा किस्म गैर मुमकिन मगरा की भूमि कभी कभार कब्जा करने मात्र उक्त भूमि का विधिक रूप से खातेदार/मालिक नहीं है। प्रकरण संख्या 70/78 सरकार बनाम गफार अन्तर्गत धारा 91 आर.एल. आर. एक्ट में न्यायालय नायब तहसीलदार नागौर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.10.78 से खसरा नम्बर 246 की भूमि पर अपीलान्ट के पिता गफार का कब्जा काश्त होने से निशुल्क नियमन की सिफारिश करते हुए किस्म भूमि मगरा के बजाय बारानी–2 में परिवर्तन व नियमन आदेश हेतु पत्रावली सलाहकार समति के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे। उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि का उसके पिता गफार के पक्ष में सलाहकार समिति द्वारा नियमन कर दिये जाने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। बल्कि अपीलान्ट ने स्वंय ने अपील में उपर्युक्तानुसार कथन किया है कि नियमन की सिफारिश की जाकर किस्म परिवर्तन के लिए भी आदेश पारित किये गये थे, जिस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई थी। अपीलान्ट के उक्त कथन से भी स्पष्ट है कि उक्त खसरा नम्बर 247 की भूमि जिस पर अपीलान्ट अपना कब्जा मानता हैं, का नियमन अपीलांट के पेश में नहीं हुआ है। इसलिए बिना नियमन उक्त खसरा नम्बर 247 पर अपीलान्ट का कब्जा अवैध ही माना जावेगा।

उक्त संबंध में यह भी उल्लेखनिय हैं कि निगरानी/एलआर/2885/ 2006/नागौर, मूलनाथ बनाम सरकार प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 24.04.2017 में अंकित किया है कि ***"जहां तक पुराने कब्जे के आधार पर नियमन का प्रश्न है, तो धारा 91 की कार्यवाही में पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है, इसके लिए पृथक से कार्यवाही ही संभव है।"*** हस्तगत प्रकरण में चूंकि अपीलान्ट स्वंय ने विवादित भूमि पर स्वंय का पुराना कब्जा होना स्वीकार किया है, इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट उक्त विवादित भूमि पर बतौर अतिकमी काबिज है एवं उक्त निर्णय अनुसार ऐसे पुराने कब्जे के आधार पर नियमन के संबंध में धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट के तहत कार्यवाही में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। विद्वान वकील अपीलांट द्वारा पेश माननीय न्यायालय की नजीरे इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। निर्णय सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)